राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ–7(43)जन/15/पार्ट–I/13686–14228 दिनांक : 15/09/2016

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक,
   राजस्थान

2. समस्त उप पंजीयक,
   (पूर्णकालीन एवं पदेन)
   राजस्थान

विषय : लोक अधिकारियों द्वारा निष्पादित या उसके समक्ष पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोक अधिकारियों द्वारा निष्पादित या उसके समक्ष पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता सुनिश्चित करने के लिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिला कलक्टर्स को पत्रांक प.3(19)वित्त/कर/2016 दिनांक 01.09.16 जारी किया गया है।

निर्देशानुसार उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर आप सभी को भिजवाई जा रही है। आपके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी लोक कार्यालयों को उक्त पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रसारित करते हुए, पत्र में दिये गये निर्देशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित करावें।

भ व दी य,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक: एफ–7(43)जन/15/पार्ट–I/ दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।

उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.3(19)वित्त/कर/2016 जयपुर दिनांक : 1-9-16

समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिला कलक्टर्स

विषय: लोक अधिकारियों द्वारा निष्पादित या उसके समक्ष पदीय कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों पर निर्धारित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय या निष्पादन से अगले कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना दस्तावेज निष्पादित करना दण्डनीय अपराध है।

विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों यथा नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, कृषि उपज मण्डियों एवं मण्डी समितियों, रीको, ग्राम पंचायत, उद्योग विभाग, खान विभाग इत्यादि द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित बहुत से दस्तावेज निष्पादित किये जाते हैं या लोक अधिकारी के नाते उनके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होते हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी देय होती है लेकिन ऐसे दस्तावेज़ों पर या तो स्टाम्प ड्यूटी ली नहीं जा रही है या कम ली जा रही है जिससे राजस्व की अत्यधिक अपवंचना हो रही है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 37 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी की गई राज्य अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दिनांक 16.12.97 के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त विभागों, कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत होता है, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय है लेकिन पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवायेंगे।

इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि कोई भी लोक अधिकारी अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर ना तो कोई कार्यवाही करेंगे ना ही ऐसे दस्तावेज को सत्यापित करेंगे।

लोक अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है जो कि पर्याप्त रूप से मुद्रांकित (not duly stamped) नहीं है तो ऐसा कार्य राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 73 के तहत अपराध है और 5000/– रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है।

अतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उक्त प्रावधानों तथा दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के संबंध में लोक अधिकारियों पर आरोपित कर्तव्यों की समुचित पालना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी देय है उन पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं अधिभार की राशि राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों द्वारा दस्तावेज निष्पादन के समय ही वसूल की जावे और जो दस्तावेज पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और जिन पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया हुआ है, उनको जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवाएं।

दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान भौतिक स्टाम्प पत्रों, ई–स्टाम्प, फ्रेंकिंग, बैंक ड्राफ्ट, पे–आर्डर या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निम्नलिखित आय मद में ई–ग्रास चालान के द्वारा किया जा सकता है:–

0030 – स्टाम्प और पंजीकरण
02 – स्टाम्प न्यायिकेत्तर (Non Judicial)
103 – दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
(01) – दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
800 – अन्य प्राप्तियां
(02) – स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
(03) – स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्द्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों की सूची एवं उन पर देय स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क की दरें संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क की आद्यतन दरें पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की वेबसाईट **http://igrs.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध फीस मास्टर से डाउनलोड की जा सकती हैं।

राजस्व हित में उपरोक्त प्रावधानों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थ सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की वेबसाईट **http://igrs.rajasthan.gov.in** से फीस मास्टर डाउनलोड कर उसकी एक प्रति सदैव अपने कार्यालय में रखें एवं इस आदेश की अनुपालना में यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भूल या लापरवाही की जाती है तो संबंधित विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
1/9/XVI